

बिहार सरकार  
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं०-5/निदे०(छात्रवृत्ति प्रवे०)200-26/2018- 333

प्रेषक,

प्रियंका रानी, भा०प्र०से०  
निदेशक।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-  
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग।

पटना-15, दिनांक- 20.03.2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या-1141 दिनांक-10.05.2018 के आलोक में "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/- (एक हजार रू०) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने के लिए अनुसूचित जाति के लिए कुल ₹24.60 लाख मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत संकल्प संख्या-1141 दिनांक-10.05.2018 के आलोक में "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/- (एक हजार रू०) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने के लिए विभिन्न आवंटनादेश के माध्यम से कुल ₹730.00 लाख(सात करोड़ तीस लाख रू०) मात्र का आवंटन उपलब्ध कराया गया था, साथ ही उक्त आवंटित की जाने वाली राशि की स्वीकृति विभागीय पत्रांक-332 दिनांक-20.03.2026 द्वारा दी गई है। जिला कल्याण पदाधिकारी, गया के पत्रांक-854 दिनांक-11.03.2026 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत राज्य स्कीम के तहत 21-01 सामग्री एवं पूर्तिया ईकाई (विपत्र कोड- 44-2225012770101) के तहत कुल ₹1,07,10,250/- (एक करोड़ सात लाख दस हजार दौ सौ पचास रू०) प्रत्यर्पण राशि प्राप्त हुआ है, जिसे स्वीकार किया गया है। उक्त प्रत्यर्पित राशि से "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना" के तहत अनुसूचित जाति के लिए कुल ₹24.60 लाख (चौबीस लाख साठ हजार रू०) की राशि का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2-आवंटित राशि का व्यय राज्य स्कीम से अनुसूचित जाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण- उप मुख्यशीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0101-शिक्षा-विषय शीर्ष-0101.21.01-सामग्री एवं पूर्तियां-मांग संख्या-44-विपत्र कोड संख्या-44-2225012770101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3-इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, तथा इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे। निकासी पदाधिकारी राशि की निकासी कर वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में विभाग के स्तर पर खाता का संधारण करेंगे।

4- निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी के स्तर से सत्यापित एवं स्वीकृत सूची के आधार पर वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-3808 दिनांक -02.06.2017 के आलोक में आधार (वित्तीय और सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016

(Aadhar Targeted delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Srvices,2016) , एवं समय-समय पर निर्गत संकल्प/अनुदेशों के आलोक में विभाग के स्तर पर PFMS के माध्यम से लाभान्वित होने वाले छात्रों के बैंक एकाउंट में राशि का अंतरण करेंगे।

5- संकल्प संख्या-1141 दिनांक-10.05.2018 के आलोक में "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/- (एक हजार रू0) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने की स्वीकृति के आलोक में राशि व्यय किया जायेगा।

6- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं0-2561 दिनांक 17-4-98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

7- महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

8 कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

निदेशक।

ज्ञापांक- 5/निदे0(छात्रवृति प्रवे0)200-26/2018-333 - पटना, दिनांक- 20.03.2026

प्रतिलिपि:- (1) महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) (i) सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर सचिव अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक (मु0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ प्रभारी बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/आई0 टी0 मैनेजर,/संबंधित प्रशाखा पदा0, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदा0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।